राजस्थान सरकार कार्यालय जिला कलेक्टर, चूरू

क्रमांकः प. 12 (1) (4) राजस्व/2009

विनांक :- 25/5/08

-:: संपरिवर्तन आदेश ::-

अध्यक्ष, महाराजा पिंक्लिक स्कूल संस्थान, सांखण ताल तहसील राजगढ जिला चूल के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 (1) (जी) के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है:-

पब्लिक महाराजा आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम तथा पूरा पता संस्थान, सांखणताल तहसील राजगढ जिला चूरू नहीं।

क्या आवेदक अनु.जाति/जनजाति का सदस्य है?

संपरिवर्तन करवाये जाने के लिए इस्सित भूमि का ब्यौरा

(क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम (ख) भूमि का ख. न. तथा प्रत्येक ख.न. क्षेत्रफल

(ग) संपरिवर्तित भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मी.) में

संपरिर्वतन का प्रयोजन

संदेय प्रीमियम की दर 5.

चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम

शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ

खसरा नं. 335 रकबा 0.40

सांखणताल/ राजगढ

1471 वर्ग मीटर

नियमानुसार

चा. नं. 7 दिनांक 9.1.08 राशि 27672 रूपये (कुल रूपये सताईस हजार छः सौ

चालान संख्या तथा तारीख सिहत शास्ति यदि कोई 7. हो, की जमा कराई गई रकम :-

चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि 8. कोई हो, की जमा कराई गई रकम

क्या आदेश नियमितीकरण के लिए नियम -13 के अधीन जारी किया गया है ?

अन्य विशिष्टिया यदि कोई हो

बहतर मात्र)

नही

नही

नही

नही

उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगा:-

- उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित 1. प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजनार्थ नही किया जायेगा।
- यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है 2. तो अनुज्ञा प्रत्याइत कर ली जायेगी तथा आवेदक द्वारा जमा करायी गई प्रीमियम राशि समप्रहत हो जावेगी।

नियम-4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नही 3.

इंण्डियन रोड. काँग्रेस द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अन्तर्गत सड़क से दूरी 4. छोड़नी होगी ।

लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि गान्य 5. अनुज्ञा प्राप्त किए बिना नही किया जायेगा ।

भू-स्वामित्व की जांच का पूर्ण अधिकार राजस्व विभाग को होगा।

आवेदक को बिना आपित के प्रकरण से संबंधित आदेश व उक्त शर्तों की 6. पालना करनी होगी तथा यदि भविष्य में कोई राशि देय बनती हो तो जमा 7. कराने के लिए बाध्य होगा ।

sel -

जिला कलेक्टर,

चूरू

क्रमांकः प. 12 (1) (4) राजस्व/2009

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थः-

- उपखण्ड अधिकारी, राजगढ । 1.
- तहसीलदार, राजगढ। 2.
- सरपंच,ग्राम पंचायत सांखणताल तहसील राजगढ।
- अध्यक्ष, महाराजा पिंबलक स्कूल संस्थान, सांखण ताल तहसील राजगढ 3. जिला चूरू ।
 - रक्षित पत्रवली । 5.

जिला कलेक्टर, चूरू

राजस्थान सरकार कार्यालय जिला कलेक्टर, चूरू

क्रमांकः प. 12 (1) () राजस्व/2010

दिनांक :- 21 > 2010

-:: संपरिवर्तन आदेश ::-

आवेदक संस्था मालाराम कोठारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, सांखणताल, तहः राजगढ, जिला चूरू जिरये सचिव श्री सुनील कुमार पुत्र सञ्जन कुमार, निवासी सांखणताल के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 (1) (जी) के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है:-

आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम तथा पूरा पता मालाराम कोठारी प्रशिक्षण महाविद्यालय सांखणताल, तह. राजगढ

क्या आवेदक अनु.जाति/जनजाति का सदस्य है? 2.

नहीं

संपरिवर्तन करवाये जाने के लिए इप्सित भूमि का 3.

(क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम

सांखणताल, तह. राजगढ

(ख) भूमि का ख. न. तथा प्रत्येक ख.न. क्षेत्रफल

का खसरा नं. 337 मी0 रकबा 0.10 चाही 1,000 वर्ग मीटर

(ग) संपरिवर्तित भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मी.) में

संपरिर्वतन का प्रयोजन

शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय

प्रयोजनार्थ

संदेय प्रीमियम की दर 5.

नियमानुसार

चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई जरिये चालान दिनांक 12-3. 6. गई प्रीमियम की रकम 010 राशि 5,000 रूपये (रूपान्तरण राशि सुवोमोटो जमा)

चालान संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई 7. हो, की जमा कराई गई रकम :-

नही

चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि 8. कोई हो, की जमा कराई गई रकम

नही

क्या आदेश नियमितीकरण के लिए नियम -13 के

अधीन जारी किया गया है ?

उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगा:-

- उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित 1. प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजनार्थ नही किया जायेगा।
- यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की 2. कालावधि के भीतर संपरिवर्तित भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहत कर ली जायेगी तथा आवेदक द्वारा जमा करायी गई प्रीमियम राशि समप्रहत हो जावेगी।
- नियम-4 में यथा वार्णत भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं 3. किया जायेगा
- इंग्डियन रोड. कॉॅंग्रेस द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अन्तर्गत सड़क से दूरी 4. छोड़नी होगी ।
- लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य 5. किसी अकृषि प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किए बिना नही किया जायेगा ।
- भू-स्वामित्व की जांच का पूर्ण अधिकार राजस्व विभाग को होगा। 6.
- आवेदक को बिना आपित के प्रकरण से संबंधित आदेश व उक्त शर्तों की पालना करनी होगी तथा यदि भविष्य में कोई राशि देय बनती हो तो जमा कराने के लिए बाध्य होगा ।

जिला कलेक्टर,

व्रुख

दिनांक 21.7.2010

क्रमांद**ः प. 12 (1) () राजस्व/201**0

ातिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

- उपखण्ड अधिकारी, राजगढ 1.
- तहसीलदार, राजगढ। 2.
- सरपंच,ग्राम पंचायत सांखणताल, तह0 राजगढ।
- मालाराम कोठारी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, सांखण्ताल, जरिये सचिव श्री सुनील कुमार।
- रक्षित पत्रवली । 5.
- उप पंत्रीमद रामगढ C.

जिला कलेक्टर. चूस